संख्या : 24/2015/471/छप्पन-15-94/2013 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2015**

विषय :नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 में वर्ष 2014-15 में वायुयान / हेलीकॉप्टर क्रय की मद में अवशेष धनराशि को पी0एल0ए0 में जमा किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1273/ना0उ0/2015, दिनांक 24 मार्च, 2015 एवं पत्र संख्या- 1291/ना0उ0नि0/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें अवगत कराया गया है कि एक नये वायुयान किंग एयर-250 (माडल बी-200-जीटी) तथा एक बेल-412 ई0पी0आई0 हेलीकॉप्टर के क्रय हेतु लिये गये शासन के निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या- 10/2015/434/छप्पन-15-94/2013, दिनांक 20 मार्च, 2015 एवं संख्या- 11/2015/434/छप्पन-15-94/2013, दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा वायुयान और हेलीकॉप्टर के कुल मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति निर्गत की गयी है। वायुयान का कुल मूल्य रूपये 43,55,00,000-00 (रूपये तैंतालिस करोड़ पचपन लाख मात्र) तथा हेलीकॉप्टर का कुल मूल्य रूपये 90,02,50,000-00 (रूपये नब्बे करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान निर्माता कम्पनियों को किया जाना है। निर्माता कम्पनियों से प्राप्त बैंक गारण्टी के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में वायुयान एवं हेलीकॉप्टर के कुल मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि क्रमशः रूपये 13,06,50,000-00 एवं रूपये 27,00,75,000-00 इस प्रकार कुल रूपये 40,07,25,000-00 का भुगतान निर्माता कम्पनियों को किया जाना है। संगत लेखा शीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान रूपये 80-00 करोड़ में से उक्तानुसार भुगतान के बाद रूपये 39,92,75,000-00 की धनराशि अवशेष बचेगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य वायुयान (फाल्कन) का क्रय भी प्रक्रिया में है। इस प्रकार वायुयान किंग एयर-250 (माडल बी-200-जीटी) तथा बेल-412 ई0पी0आई0 हेलीकॉप्टर के मूल्य की अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि के भुगतान एवं फाल्कन वायुयान के कुल मूल्य के भुगतान हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में समुचित धनराशि की आवश्यकता होगी, जबकि आगामी वर्ष के आय-व्ययक के संगत लेखा शीर्षक के मद में मात्र रूपये 1-00 अरब की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रश्नगत रूपये 1-00 अरब की बजट व्यवस्था दो विमानों/ एक हेलीकॉप्टर के क्रय से सम्बन्धित उक्तानुसार भुगतान के लिए पर्याप्त परिलक्षित नहीं होता। उक्त स्थिति के दृष्टिगत आपके द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में वायुयान/हेलीकॉप्टर के क्रय हेतु प्रावधानित धनराशि में हो रही बचत रूपये 39,92,75,000-00 (रूपये उनतालीस करोड़ बानबे लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि मुख्य कोषागार कलेक्ट्रेट, लखनऊ में संचालित निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 के वैयक्तिक लेखा खाता (लेखा शीर्षक 8443-123) में जमा करा दिया जाय।

2- उक्त प्रस्ताव पर समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्त में आय-व्ययक में हेलीकॉप्टर/वायुयान के क्रय की मद में अवशेष धनराशि रूपये 39,92,75,000-00 (रूपये उनतालीस करोड़ बानबे लाख पिचहत्तर हजार मात्र) को आहरित करके निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ के पी0एल0ए0 संख्या- 8443-123 में जमा किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत नये वायुयान/हेलीकॉप्टर के क्रय के लिए ही उक्त धनराशि आहरित की जायेगी।

4- उक्त धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में किसी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

5- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशा0 संख्या- ई-7-329/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

<u>पृ0सं0 : 24/2015/471(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ।
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in